न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3419–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–12 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 09/2010–11/स्वमेव निगरानी.

पूरनचंद बंसल पुत्र गणेशीलाल बंसल
निवासी हरीशंकरपुरम, झांसी रोड, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– कलेक्टर, जिला ग्वालियर
2– शोभाराम पुत्र बलराम
निवासी ग्राम जौरासी
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर
3– फॉर्मल पक्षकार शरद अग्रवाल
पुत्र जगदीश अग्रवाल
निवासी रेजीडेन्सी रोड .....अनावेदकगण

श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, शासकीय, अभिभाषक अनावेदक क. 1
श्री जी.पी. नायक, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 29 नवम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 15–12–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पत्र कमांक क्यू/स्टेनो/टी.एल./2010/1733 दिनांक 13–7–2010 कलेक्टर को प्रेषित कर उल्लेख किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम जौरासी से लगी आबादी भूमि का आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से व्यवस्थापन करा लिया गया है, जिन्हें निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 15–12–12 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में किया गया ध्यवस्थापन निरस्त किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डबरा जिला ग्वालियर को निर्देश दिये गये कि वह तद्नुसार तत्काल प्रविष्टि कराना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन 7 दिन में भेजें । साथ ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार वृत बिलौआ, तहसील डबरा के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी को भेजे जाने के लिए आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा को भेजे जाने के निर्देश भी दिये गये तथा संबंधित पटवारी एवं तत्कालीन प्रवाचक तहसील डबरा के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को भेजी गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा शोभाराम से कय कर लिये जाने के कारण वह हितबद्ध पक्षकार था, परन्तु कलेक्टर द्वारा उसे बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा वर्ष 1989 में हुए व्यवस्थापन को लगभग 25 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अत्यधिक विलंबित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से लगभग 10 वर्ष पूर्व भूमि को कय किया गया है, और आवेदक द्वारा केवल 2½ बीघा भूमि कय की गई है, जबकि विकेता शोभाराम 8 बीघा भूमि का मालिक है, परन्तु कलेक्टर द्वारा आवेदक की भूमि शासकीय घोषित करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है, कलेक्टर को विकेता की 8 बीघा भूमि में से शासकीय घोषित करना चाहिए थी । अंत में कहा गया कि कलेक्टर का आदेश सर्वे कमांक 26 के संबंध में है,

जबकि आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 107 की भूमि कम करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 शोभाराम द्वारा जिस भूमि का विकय किया गया है, उसी भूमि के संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है । अतः कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उभयय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 शोभाराम को जिस भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, उसे आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया है, इसलिए वह कलेक्टर के समक्ष प्रचलित प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था परन्तु कलेक्टर द्वारा न तो उसे पक्षकार बनाया गया, और न ही सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है, क्योंकि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अपरोक्ष रूप से आवेदक केता के विरूद्ध पारित किया गया आदेश है, और जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । अतः उपरोक्त कारण से कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–12 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक केता को प्रकरण में पक्षकार बनाकर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित किया जाये।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर